ujjivan SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7
सैक्टर 3 नोएडा उ.प्र. 201301

सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं की प्रधान राशि और ब्याज की पुनः अदायगी में चूक की है तथा कथित सुविधाओं को नीचे वर्णित प्रत्येक खाते के अंतर्गत नॉन-परफॉर्मिंग असैट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कर्जदार/गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए थे, तथापि नोटिस अवितरित वापिस आ गए है और प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास का कारण है कि कर्जदार/गारंटर नोटिस की सेवाओं से बच रहे है, इसलिए उन्हें इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

शाखा और कर्जदार /गारंटर के नाम	प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	एनपीए की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
शाखाः पाली (राजस्थान) 1. **श्री सोहनलाल पुत्र हरजी,** 89-ए, बाबा रामदेव कॉलोनी, मंडिया रोड पाली, मारवाड़ राजस्थान-306401, 2. **संतोष देवी पत्नी सोहनलाल,** 89-ए, बाबा रामदेव कॉलोनी, मंडिया रोड पाली, मारवाड़ राजस्थान - 306401. आवास ऋणः (खाता संख्या 223579700000101)	संपत्ति प्लॉट संख्या 89-ए/101, चक संख्या 1, खसरा संख्या 943, बाबा रामदेव कॉलोनी, पाली क्षेत्रफल 69.44 वर्ग गज के सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमांए नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः प्लॉट सं. 90/89, पश्चिमः प्लॉट सं. 89/101, उत्तरः प्लॉट सं. 96/110, दक्षिणः रोड। श्रीमती संतोष देवी पत्नी सोहनलाल से संबंधित संपत्ति है। रेहन दिनांक 20.02.2017 के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।	24.03.2023	10.01.2023	2,39,819.14/- रु. जो 09.03.2023 को देय है जमा 10.03.2023 से अनुबंधीय दर पर ब्याज व अन्य प्रभार।

उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की सलाह दी जाती है जिसमें असफल होने पर नोटिस की तिथि से 60 दिन बाद वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कर्जदारों/गारंटरों को किसी तरीके से, जो कुछ भी हो, के माध्यम से बिना बैक की सहमति के बिना उपरोक्त वर्णित प्रतिभूतित परिसंपत्तियों के साथ लेन देन करने से एतद्द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह सूचना बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है और अधिनियम तथा/या अन्य प्रभावी कानून के अधीन है।

दिनांकः 03.07.2024 **स्थानः** पाली (राजस्थान) **प्राधिकृत अधिकारी**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न-वर्णित ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को देय-भुग्तेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह-ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	संपत्ति पता
1.	15321668	गृह ऋण	1. इकबाल सर्फू 2. समसिदा इकबाल	17.06.2024	12,46,584.84/-	भूखंड सं. 2 के समस्त वह भाग तथा अंश, अधिमापन 216.17 वर्ग गज अर्थात् 180.73 वर्ग मीटर, खसरा सं. 170मिन. में से, ग्राम : जलालपुर - रघुमाथपुर, परगना : जलालाबाद, तहसील : मोदीनगर, जनपद : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201206 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- सिराजुद्दीन आदी हल हाजी इकराम का प्लॉट, पश्चिम- प्लॉट दीगर, उत्तर- सामान्य मार्ग 30 फुट चौड़ा, दक्षिण- खेत दीगर।

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को देय-भुग्तेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां प्रारंभ करने को बाध्य-विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय/पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 04-07-2024 **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड,**
स्थान : गाजियाबाद **आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)**

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Hero Housing Finance

संपर्क का पताः परिचालन कार्यालय, ए-6, सेक्टर-4, नोएडा 201301 और कार्यालय संख्या 402, चौथी मंजिल, अमरपाली प्लाजा, अमरपाली सर्किल, वैशाली नगर, जालपुर, राजस्थान-302021

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित/अधिसूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मूल दस्तावेज खो गए हैं/उनका पता नहीं चल पाया है।

क्रं.	विवरण
1.	मूल आवंटन पत्र दिनांक 05/04/1994, पंजीकरण संख्या 25844 के अनुसार, भांकरोटा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जालपुर द्वारा श्री गोपाल लाल, पुत्र लालू राम के पक्ष में जारी किया गया।
2.	मूल भुगतान रसीद संख्या 963 दिनांक 05/04/1994, रजिस्ट्रेशन संख्या 2584-1 द्वारा, राशि रु.29355/-, भांकरोटा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा श्री गोपाल लाल, पुत्र लालू राम के पक्ष में प्लॉट संख्या 5 के संबंध में जारी की गई।
3.	भांकरोटा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा जारी रजिस्टर नंबर 2584/एल के द्वारा मूल साइट प्लान,
4.	गोपाल लाल बलाई द्वारा राज कुमारी शर्मा पत्नी पुरुषोत्तम शर्मा के पक्ष में निष्पादित मूल बिक्री विलेख दिनांक 18/01/2018, उप-पंजीयक सांगानेर-I, जयपुर के साथ पंजीकृत, दस्तावेज़ संख्या 201803024100419, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1070, पृष्ठ संख्या 19 और पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 3874, पृष्ठ संख्या 482-494 पर अतिरिक्त साइट प्लान के साथ रु 18,000/- और 2,200/- रुपये मूल्य के दो स्टाम्प पेपर प्रमाण पत्र संख्या IN-RJ 21366240967228 Q और IN-RJ 21366047202610 Q (क्रमशः)।

श्री पुरुषोत्तम शर्मा (उधारकर्ता) और श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सह-उधारकर्ता) से संबंधित उपरोक्त सभी मूल दस्तावेज, उनके ऋण खाता संख्या HHFJAILAP20000006963 के संबंध में है, जो आवासीय प्लॉट संख्या 5, स्कीम "देव धाम कॉलोनी सी", गांव-जगन्नाथपुर, तहसील- सांगानेर, जयपुर, क्षेत्र की माप 291.11 वर्ग गज से संबंधित थे, का पता नहीं चल पाया। नोएडा में खोए दस्तावेजों की सूचना रिपोर्ट L.A.R NO: 20240000561535 के माध्यम से पीएस-नोएडा के समक्ष 03/07/2024 को उल्लिखित गुम दस्तावेजों के खिलाफ दर्ज की गई थी।
इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त दस्तावेजों से संबंधित न हों और यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दस्तावेजों से संबंधित है तो वह अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसा करेगा और हमारी कंपनी किसी भी तरह से किसी भी तरह के अनधिकृत व्यवहार के कारण ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अगर किसी को भी यह मिलता है तो कृपया इसे हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑपरेशन ऑफिस, ए-6, सेक्टर-4, नोएडा 201301 और ऑफिस नंबर 402, चौथी मंजिल, अमरपाली प्लाजा, अमरपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021, मोबाइल नंबर 9818840495 पर वापस कर दें।

दिनांकः 04-जुलाई-2024 **हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी**
स्थानः- नोएडा/जयपुर **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए**

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व का जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक हुए प्रयोज्य दर भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित नाम के सम्मुख उल्लिखित राशि तथा उस पर कथित सूचना में उल्लिखित दर पर प्रयोज्य ब्याज एवं भुगतान तथा/अथवा वसूली तक आकस्मिक व्यय, लागतों, प्रभारों आदि का भुगतान करने को कहते हुए कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को मांग सूचना जारी की थी।

क्र. सं.	ऋण सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार/ जमानती/बंधककर्ता	13(2) की सूचना तिथि/तिथि तक बकाया राशि (रु. में)	कब्जे की तिथि/समय तथा प्रकार
1	45289430000750	1) श्री जसवंत सिंह (आवेदक), 2) श्रीमती सुमन (सह-आवेदक) 3) श्री अमित (सह-आवेदक)	08.04.2024 08.04.2024 तक रु.15,37,856.33 (पंद्रह लाख सैंतीस हजार आठ सौ छप्पन और तैंतीस पैसे मात्र)	तिथिः 02.07.2024 समयः 12:40 बजे अप. सांकेतिक कब्जा
	प्रतिभूत संपत्ति का विवरणः जमाबंदी 2016-2017 के लिए जमीन खेवट नंबर 47, खतौनी नंबर 47 मुरब्बा नंबर 147 किला नंबर 16/1 रकबा 3 कनाल 12 मरला हिस्सा 1/72, भाग बक्कर 1 मरला और खेवट नंबर 61, सालम कुल रकबा 12 कनाल 3 मरले का 1/27 भाग बक्कर 9 मरले कुल रकबा 10 मरले, गांव अमृतपुर कलां, तहसील घरौंडा जिला करनाल-132114 में स्थित, स्वामित्व श्रीमती सुमन, पत्नी जसवंत सिंह के पास है। सीमाः पूर्वः 26 फीट और अन्य का प्लॉट, पश्चिमः 19 फीट/ दरवाजा और रास्ता, उत्तरः 99 फीट अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 99 फीट और गली			
2	32039630000373	1) श्री दिलवर सिंह (आवेदक), 2) श्रीमती कृष्णा देवी (सह-आवेदक)	12.04.2024 07.04.2024 तक रु.6,21,980.83 (रुपये छह लाख इक्कीस हजार नौ सौ अस्सी और तिरासी पैसे मात्र)	तिथिः 03.07.2024 समयः 11:05 बजे पूर्वा. सांकेतिक कब्जा
	प्रतिभूत संपत्ति का विवरणः 379 वर्ग गज का क्षेत्रफल, जो एम.सी. सीमा पूंडरी के भीतर पाई गेट पर स्थित है, सभी अधिकार पंजीकृत त्याग विलेख संख्या 426/1 दिनांक 03.06.2020 के अनुसार संलग्न, श्री दिलवर सिंह, पुत्र बलवान सिंह के स्वामित्व में है। सीमाः पूर्वः रास्ता, पश्चिमः श्री धर्म सिंह का प्लॉट, उत्तरः श्री रघबीर का घर, दक्षिणः श्री धर्म सिंह का घर।			

जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा उपर्युक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और उपर्युक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ कोई संव्यवहार जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थान : हरियाणा **ह./- अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 04.07.2024 **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोम्लूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071। शाखा कार्यालयः 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
शाखाः- मेड़ता सिटी जिला-नागौर (राजस्थान)

शुद्धि पत्र

इस समाचार पत्र में दिनांक 29.06.2024 में प्रकाशित ई-निलामी सूचना में श्री नंपाराम जाजड़ा पुत्र बुधाराम जाजड़ा की 13(2) की बकाया राशि शब्दों में (रुपये पीस लाख छियासठ हजार पांच सौ इक्यासी मात्र) अंकित हो गई है जबकि शब्दों में उसे (रुपये बीस लाख छियासठ हजार पांच सौ इक्यासी मात्र) पढ़ी जाये बाकि सब यथावत रहेगा।

दिनांक: 04.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

उत्तर रेलवे

आजादी का अमृत महोत्सव

शुद्धिपत्र

संदर्भः (i) निविदा सूचना। 05/2024-25 दिनांक 19.04.2024 (क्र. सं. 03)
(ii) निविदा सं. 08245128 नियत तिथि 02.07.2024
उपर्युक्त निविदा के संदर्भ में, टेंडर खुलने की नियत तिथि 02.07.2024 से बदल कर 05.08.2024 कर दी गई है। सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं। शुद्धिपत्र वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर प्रकाशित किया गया है। **2019/2024**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

जना स्माल फाइनेंस

एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 **शाखा कार्यालयः** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) **''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है''** के आधार पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर के नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	02.07.2024 तक वर्तमान बकाया शेष	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. में	ई-नीलामी की तिथि तथा समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा स्थान
1	45138640002263	1) मेसर्स बानी एक्सक्लूसिफ, जिसका प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्री अमृत पाल सिंह करते हैं, 2) श्री अमृत पाल सिंह (उधारकर्ता) मेसर्स बानी एक्सक्लूसिफ के मालिक, 3) श्रीमती दलजीत कौर, पत्नी श्री अमृत पाल सिंह (गारंटर), 4) श्री गोविंद सिंह मोहिंद्रा, पुत्र श्री अमृत पाल सिंह (गारंटर)	09.01.2024	29.04.2024	रु. 2,47,25,280/- (रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख पच्चीस हजार दो सौ अस्सी मात्र)	18.07.2024 को 09:00 बजे पूर्वा. से 05:30 बजे अप.	रु. 2,32,87,500/- (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र)	रु. 23,28,750/- (रुपये तेईस लाख अट्ठाईस हजार सात सौ पचास मात्र)	08.08.2024 को 11:00 बजे पूर्वा.	07.08.2024 को 5.00 बजे अप. से पूर्व, **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005
	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः फ्री-होल्ड संपत्ति का पूरा ग्राउंड फ्लोर (छत/टेरेस अधिकारों के बिना) ब्लॉक नंबर 1 में आवासीय भूखंड संख्या 52 पर निर्मित, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, जिसे निम्न आय वर्ग सरकारी सेवक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी लिमिटेड, अब सुंदर विहार के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 में स्थित के ले-आउट प्लान में दिखाया गया है। उक्त संपत्ति के कुल भूमि में आधा (50%) अविभाजित हिस्सा है। श्री दलजीत कौर, पुत्र श्री अमृत पाल सिंह के स्वामित्व में। पूर्वः प्लॉट नंबर 53, पश्चिमः प्लॉट नंबर 51, उत्तरः सड़क 30 फीट चौड़ी, दक्षिणः सर्विस लेन।									
2	32028640000091 & 3202020000669090	1) मेसर्स भागीरथ एंटरप्राइजेज, इसके मालिक श्री विजय कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री विजय कुमार (उधारकर्ता) मालिक मेसर्स भागीरथ एंटरप्राइजेज, 3) श्री फकीर चंद (गारंटर), 4) श्रीमती उषा पंचाल (गारंटर), 5) श्रीमती संतोष बाला (गारंटर), 6) मेसर्स विजय ट्रंक हाउस इसके मालिक श्री फकीर चंद द्वारा प्रतिनिधित्व	13.02.2023	18.04.2023	रु. 1,42,49,362.95 (रुपये एक करोड़ बयालीस लाख उनचास हजार तीन सौ बासठ और पिचानबे पैसे मात्र)	18.07.2024 को 09:00 बजे पूर्वा. से 05:30 बजे अप.	सम्पत्ति-1: रु. 88,17,000/- (रुपये अट्ठासी लाख सत्रह हजार मात्र) सम्पत्ति-2: रु. 38,46,100/- (रुपये अड़तीस लाख छियालीस हजार एक सौ मात्र)	सम्पत्ति-1: रु. 8,81,700/- (रुपये आठ लाख इक्यासी हजार सात सौ मात्र) सम्पत्ति-2: रु. 3,84,610/- (रुपये तीन लाख चौरासी हजार छः सौ दस मात्र)	08.08.2024 को 11:00 बजे पूर्वा.	07.08.2024 को 5.00 बजे अप. से पूर्व, **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005
	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरणः संपत्ति-1: संपत्ति संख्या खेवट संख्या 1531/2070, खसरा संख्या 111//12/2, रकबा 3-19 मरले दा 1/79, हिस्सा बक्दर 0 कनाल 1 मरले, 30 वर्ग गज और खेवट संख्या 1147/1705, खसरा संख्या 111//12/2 रकबा 3-19, हिस्सा बक्दर 1 मरले प्लॉट आकार 11*25=30 वर्ग गज तथा खेवट नं.1147/1705, खसरा नं.111//12/2, तडाडी 3 कनाल 19 मरले दा 1/79, उसका बक्दार 0 कनाल 1 मरले, 30 वर्ग गज तथा खेवट नं.1344, खसरा नं.111//12/2 तडाडी 379 दा 1/79, उसका बक्दार 1 मरेले, गांव बराड़ा, हदबस्त नं.203, तहसील बराड़ा जिला बराड़ा जिला अंबाला। श्री फकीर चंद, श्री विजय कुमार, श्रीमती संतोष बाला और श्रीमती उषा पांचाल के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः मकान नंबर 8-1528 श्री कुलदीप शर्मा, पश्चिमः रोड, दक्षिणः स्ट्रीट, उत्तरः मकान नंबर 8-1528 श्री कुलदीप शर्मा। संपत्ति-2: खेवट नं.1814/2320, खसरा नं.111//12/2, रकबा 3 कनाल 19 मरले दा हिस्सा 45/475 बक्दार 0 कनाल 7 मरले गांव बराड़ा मकान नंबर 203, तहसील बराड़ा जिला अंबाला। मालिक श्रीमती उषा, पत्नी विजय कुमार। सीमाः पूर्वः श्री ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पश्चिमः रोड, दक्षिणः मकान नंबर 8 1517, उत्तरः रोड।									
3	45128640003392	1) मेसर्स सोनिया एंटरप्राइजेज, जिसका प्रतिनिधित्व इसके पार्टनर श्रीमती सोनिया कपूर और श्री नवीन कत्याल करते हैं, 2) श्रीमती सोनिया कपूर, पत्नी विनय कपूर (उधारकर्ता) मेसर्स सोनिया एंटरप्राइजेज की पार्टनर, 3) श्री नवीन कत्याल (उधारकर्ता) मेसर्स सोनिया एंटरप्राइजेज के पार्टनर, 4) श्रीमती श्वेता कत्याल, पत्नी नवीन कत्याल (गारंटर), 5) श्री विनय कपूर, पुत्र श्री गोकल नाथ कपूर (गारंटर)	15.04.2024	22.06.2024	रु. 2,05,92,850.44 (रुपये दो करोड़ पांच लाख बानबे हजार आठ सौ पचास एवं चौवालीस पैसे मात्र)	18.07.2024 को 09:00 बजे पूर्वा. से 05:30 बजे अप.	रु. 2,94,29,000/- (रुपये दो करोड़ चौरानबे लाख उनतीस हजार मात्र)	रु. 29,42,900/- (रुपये उनतीस लाख बयालीस हजार नौ सौ मात्र)	09.08.2024 को 11:00 बजे पूर्वा.	08.08.2024 को 5.00 बजे अप. से पूर्व, **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005
	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरणः प्लॉट क्षेत्र 450 वर्ग मीटर, प्लॉट संख्या ए-2/29, साइट-V, औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर, यूपीएसआईडीसी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका स्वामित्व मेसर्स सोनिया एंटरप्राइजेज के पास है, जो अपने साझेदारों श्रीमती सोनिया कपूर और श्री नवीन कटियाल के माध्यम से इसका स्वामित्व रखता है। सीमाः पूर्वः प्लॉट संख्या ए2/30, पश्चिमः 12 मीटर चौड़ी सड़क संख्या 44, उत्तरः प्लॉट संख्या ए2/56, दक्षिणः 12 मीटर चौड़ी सड़क संख्या 51									

संपत्तियों को **''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है''** के आधार पर बेजा जा रहा है और ई-नीलामी **'ऑन लाइन'** आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल **https://bankauctions.in** तथा **www.foreclosureindia.com** पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4क्लोजर; श्री उत्कर्ष आदेश संपर्क नंबरः 9515160064, ईमेल आईडीः **info@bankauctions.in/adesh@bankauctions.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक** के अधिकारी श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463), श्री तुंग कुशिक (8105191533), श्री शशि कुमार (8700277112) और रंजन नाइक (9590858249) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, हित के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

दिनांकः 04.07.2024, स्थानः दिल्ली रा.रा.क्षे. **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
एफ8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर-4, महालक्ष्मी मेट्रो, वैशाली, गाजियाबाद-201010,

आरएलएम - आशुतोष कुमार, 9870303707, आरआरएम - अमित कौशिक, 9667088333, सीएसएम - श्वेता आनंद - 8931927979, सीआरएम - श्री अनिजीत राय- 9131485773

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड प